शीर्ष प्राथमिकता

संख्या जी0आई0 03 /52-1-2014-01(126)/13

प्रेषक,

कृष्ण मोहन त्रिवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 10 जनवरी, 2014

विषय- 12वीं पंचवर्षीय योजना में दिनांक 20-09-2013 को 75वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड-रजापुर एवं विकास खण्ड-भोजपुर में कौशल विकास योजना हेतु केन्द्रांश की प्रथम किश्त अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- 3/19(6)/2012-पी0पी0, दिनांक 30.09.2013 से उक्त कार्य हेतु कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 91.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 45,50,000/-(रू0 पैंतालिस लाख पचास हजार मात्र) के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राविधानित बजट रू0 100.00 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

विकास खण्ड-रजापुर **(रू0 लाख में)**

क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	कुल लागत	अवमुक्त प्रथम किश्त		अवमुक्त कुल धनराशि (के0+रा0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गाजियाबाद	अल्पसंख्यकों के लिए रजापुर में कौशल विकास योजना	150	0.14	21.00	0.00	21.00	10.50	0.00	10.50
विकास खण्ड-भोजपुर										
2	,,	अल्पसंख्यकों के लिए भोजपुर में कौशल विकास योजना	500	0.14	70.00	0.00	70.00	35.00	0.00	35.00

http://shasanadesh.up.nic.in

		योग=	**650**	**0.28**	**91.00**	**0.00**	**91.00**	**45.50**	**0.00**	**45.50**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- प्रश्नगत कौशल विकास योजना की कार्यवाही जिलाधिकारी के नेतृत्व में गठित जिला शिक्षा समिति के सामान्य पर्यवेक्षण में की जायेगी। सम्बन्धित शिक्षाधिकारी उक्त कौशल विकास योजना हेतु समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए उत्तरदायी होंगे।

3- कार्य को अनुमोदित लागत से ही 04 माह में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी।

4- अवमुक्त धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-02 पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अधीन किया जायेगा। निर्माण कार्य में शासनादेश संख्या-821/52-1-09-1(1)/09, दिनांक 30 मार्च, 2009 के प्राविधानों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-2 पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा।

6- जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

7- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदासी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

8- प्रश्नगत कौशल विकास योजना के सम्बन्ध में व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। विद्यालयों के भवन की डिजाइन एवं क्षेत्रफल वही होगा जो राज्य/केन्द्र सरकार के व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित है।

9- निर्माण कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

10- जिलाधिकारी द्वारा समय-2 पर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जॉच की जायेगी, ताकि सृजित सम्पत्ति की गुणवत्ता बनी रहे। अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक स्थायी बोर्ड भी बनवाया जायेगा जिस पर योजना के स्वीकृति की तिथि, वित्तीय स्रोत, योजना की लागत, कार्य पूर्ण होने तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि अंकित होगी।

12- अवमुक्त धनराशि के व्यय का जिलाधिकारी/व्यावसायिक शिक्षा अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स एवं निर्माण-स्थलों की सूची की दो-2 प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा प्रति हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

13- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण -02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-**0101-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान का कार्यान्वयन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)** के नामें डाला जायेगा।

14- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-11-1593/दस-2013, दिनांक 24.12.2013 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(कृष्ण मोहन त्रिवेदी)
संयुक्त सचिव।

संख्या जी0आई0 03(1)/बावन-1-2013तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रश्नगत कौशल विकास योजना में निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- निदेशक, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त कौशल विकास योजना के लिए निर्माण हेतु केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य योजना से अनुदान न प्राप्त किया गया हो।

7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, गाजियाबाद।

8- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/व्यावसायिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद ।

9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।

10- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

11- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

12- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण मोहन त्रिवेदी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in